

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 5169
24 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: लहसुन का उत्पादन

5169. श्रीमती डिम्पल यादव:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या मैनपुरी में लहसुन के उत्पादन और इसके लिए उपलब्ध प्रसंस्करण क्षमता के बीच के अंतर के संबंध में कोई आकलन किया गया है;
- (ख) क्या बाजार में कम बाजार मूल्यों और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव पर कोई अध्ययन किया गया है;
- (ग) विगत पांच वर्षों के दौरान लहसुन प्रसंस्करण इकाइयों और शीत भण्डारों के लिए प्राप्त, स्वीकृत और लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) किसानों को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय स्तर पर लहसुन प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्य योजना है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, मैनपुरी में लहसुन उत्पादन और प्रसंस्करण क्षमता के बीच अंतर के संबंध में कोई आकलन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम बाजार मूल्यों और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी के कारण किसानों की आय पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम में चिन्हित उत्पादन क्लस्टर्स में लहसुन के प्रसंस्करण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत लहसुन प्रसंस्करण इकाई के लिए कोई परियोजना लंबित नहीं है।

(घ): केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) योजना के तहत, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्थापित इकाइयों के लिए पात्र परियोजना लागत के 35 प्रतिशत, अधिकतम 10.00 लाख रुपये तक सहायता देने के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, राज्य योजना, अर्थात् उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण नीति-2023 के तहत, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए पात्र परियोजना लागत का 35 प्रतिशत, अधिकतम 5.00 करोड़ रुपये तक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।